

पत्रकारान राजीनामा काद शामिल पशावली किया गया।

वजुलाम उलयपूर ने ~~अज्ञात~~ ^{मनामिल राजीनामा} ज्ञात की जाती जाते का निवेदन किया जिस पर श्रमिधारी तहसीलदार खंडेल में कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।

पशावली पर उपलब्ध राजस्व लिफ्ट, पैशाशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जितके अवलोकन से एवं लोक अदालत की भावना से वादी का वाद स्वीकार किया जाते योग्य पाया जाते पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा दल आशम के जाती की जाती है कि:-

आदेश


तत ग्राम लाम्पुवा तहसील श्रीसाधोपुर जिला लीका राज. में अवस्थित कृषि भूमि खसत नं. 529 (कवा 0.72 हे०, 764/1052 (कवा 0.15 हे०, 530 (कवा 0.61 हे०, 610 (कवा 0.15 हे०, 531 (कवा 0.65 हे०, 611 (कवा 0.18 हे०, 609 (कवा 0.68 हे० में से वादी को 530 (कवा 0.61 हे०, 531 (कवा 0.65 हे०, 609 (कवा 0.68 हे० में से 0.485 हे० अर्थात् 609/2 मित बड़ा नंबट उल्लेखे हुए पश्चिमी दिशा का उत्तर दक्षिण का व उत्तिवादी नं. 1 को 611 (कवा ~~0.18~~ 0.18 हे०, 610 (कवा 0.15 हे०, 529 (कवा 0.72 हे०, 609 (कवा 0.68 हे० में से 0.195 हे० अर्थात् 609/1 मित बड़ा नम्बर उल्लेखे हुए पूर्वी दिशा का उत्तर दक्षिण ख. नं. 764/1052 (कवा 0.15 हे० का खतैदाद काशकाट घोषित किया जाता है। एवं वादी के हिस्से में आयी



हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

भूषियों से उत्तिवादी का व उत्तिवादी नं. 1 के
हिस्से उत्तमी भूषियों से वादी का नाम हजफ
किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड
में उमल दायम हो। तदनुसार पर्चा डिक्री
जाती हो। यत्रावली फ़ैलल शुमार होकर तम्बल
से कम हो तथा बाद तक्कील दाखिल दफ़्त
हो निर्णय मजमें उत्तम सुनाया गया।


भगीरथी शिवा
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

गूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर कास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

ओला राम * बनाम धुडा राम ऊ बलवारा म *

दावा बाबत हस्तग्राहक हक, तकालुमा व स्वयं प्रतिपेक्षा

मुकदमा नम्बर :- 71/2018

निर्णय दिनांक :- 21/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री राजेंद्र प्रसाद जर्मा

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

तत ग्राम लामपुता तहसील श्रीमंग्रोपुर जिला सीकर राज. में उत्तमवित्त कृषि भूमि

खेती नं. 529 एकबा 0.72 हे. , 764/1052 एकबा 0.15 हे. , 530 एकबा 0.61 हे. ,

610 एकबा 0.15 हे. , 531 एकबा 0.65 हे. , 611 एकबा 0.18 हे. , 609 एकबा

0.68 हे. में से वादी को 530 एकबा 0.61 हे. , 531 एकबा 0.65 हे. , 609 एकबा

0.68 हे. में से 0.485 हे. उत्तमवित्त 609/2 मित. बड़ा तंबू उल्लेख हर पक्षिणी दिशा का

उत्तमवित्त का व प्रतिवादी नं. 1 को 611 एकबा 0.18 हे. , 610 एकबा 0.15 हे.

529 एकबा 0.72 हे. *

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 21/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



भागीरथ शाख
(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर
खण्डेला (सीकर)
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

※ पुत्र नायण जाति जाट निवासी लाम्पुवा तहसील श्रीमधोपुर तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर राज.।

— वादी

अनाम

※ पुत्र नायण जाति जाट निवासी लाम्पुवा तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर राज.

② भूमिधारी तहसीलद्वारा श्रीमधोपुर

③ जारिये मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा लिंगस तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर राज.।

— प्रतिवादीगण



※ 609 एका 0.68 हे. में से 0.195 हे. अर्थात् 609/1, मिन वडा नम्बर डालते हुए पूर्वी दिशा का उत्तर दक्षिण ख. नं. 764/1052 एका 0.15 हे. का खातेदार काश्तकार चोषित किया जाता है। एवं वादी के हिसबे में आयी भूमियों से प्रतिवादी का व प्रतिवादी नं. 1 के हिसबे में आयी भूमियों से वादी का नाम हजफ किया जाता है। अन्तर्गत राजस्व रिन्काड में अमल दायम है।

नागीर ख शीख
(RAS)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला